रेलवे के ढांचे में परिवर्तन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

383. **श्रीमती सरला माहेश्वरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा यह समिति किन-किन विषयों पर विचार करेगी और इस समिति का कार्यकाल कितना है; और

(ग) क्या इस समिति ने अब तक अपनी सिफारिशें दे दी हैं, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) और (ख) श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं **(नीचे देखिए)** एक और सदस्य श्री एन० राधाकृष्ण, सेवानिवृत्त वित्त आयुक्त (रेलें) को इस समिति में कार्य करने के लिए नामित किया गया है। समिति की अवधि, जो 11-1-94 तक थी, को 11-10-94 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

रेलवे संरचना में परिवर्तन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति से सम्बन्धित ब्यौरा

1. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:—

(i) राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में भारतीय रेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण, समिति भारतीय रेलों की मौजूदा संगठनात्मक संरचना तथा प्रबंध प्रणालियों की विशेषतौर से निम्नलिखित के संदर्भ में जांच करेगी:

(अ) देश की उभरती हुई आर्थिक अनिवार्यताएं।

(आ) घटती हुई बजटीय सहायता तथा बढ़ती हुई उधारी बाजार की लागत को देखते हुए वाणिज्यिक अर्थ क्षमता सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

(इ) बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी बाजार में उपभोक्ता चेतना का बढ़ना तथा उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देना ताकि रेलवे स्वयं को व्यवसायी संगठन में बदल सके जिससे उसकी उपयोगिता बनी रहे।

1.1 प्रबंधकीय स्तर पर मौजूदा कार्यकारी उत्तरदायित्वों की जांच करना तथा उन्हें सही तरीके से समेकित करने के बारे में सुझाव देना:

(1) लागत-प्रभावी ग्राहक सेवा की व्यवस्था करना।

(2) विकास क्षेत्रों में अनुकूल निवेश।

(3) शीघ्र निर्णय लेना।

(4) सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, और

(5) जिम्मेदारी के साथ जवाब देही को शामिल करना:

1.2 ऐसे तरीकों का सुझाव देना जिसके द्वारा मानव संसाधन आधार की पूरी शक्ति का समवेत लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता हो।

1.3 ऐसे तरीके खोजना जिससे व्यवसायी संगठन की काया-पलट की जा सके और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समय सीमा अपेक्षित इनपुट तथा प्रत्येक कार्य को शुरू और पूरा करने के लिए किये जाने वाले आवश्यक महत्वपूर्ण प्रयास शामिल है।

प्राइवेट कम्पनियों द्वारा रेलपथों का प्रयोग

384. **श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय ने प्राइवेट कम्पनियों को रेलपथों के प्रयोग की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को और कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) और (ख) कुछ बिजली घरों और कोयला खानों में मौजूदा मेरी-गो-राउंड प्रणाली को छोड़कर चालू लाइन रेलपथों का निजी उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।